न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 289/2016

बउनवान

रविन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति–जाटव निवासी–बारां तहसील–बारां जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री महेश प्रकाश गौत्तम, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक– 30.09.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.07.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मण्डोला, तहसील–बारां की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2429, 2430 रकबा 0.30 है. पर ईट भट्टा लगाकर, अकृषि कार्य करने के लिये पश्चात्वर्ती अतिकमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 5625/–रूपये अर्थदण्ड, ईट भट्टा जप्ती, नीलामी एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व पत्रावली का अभिलेख रिकार्ड पर न होते हुए भी पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर त्रुटि की है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नही हुआ है न न्यायालय ने किसी प्रकार की साक्ष्य ली है। अपीलार्थी को सजायाब कर त्रुटि की है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है एकतरफा निर्णय साइक्लोस्टाइल परफोर्मे में जारी कर त्रुटि की है। अपीलार्थी अतिकमी प्रमाणित नहीं है तथा जुर्माना भी उसके द्वारा जमा करवा दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.7.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी तथा तहसीलदार बारां से उक्त भूमि की वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही। तहसीलदार [illegible] से प्राप्त रिपोर्ट के साथ संलग्न प्राप्त रिपोर्ट पटवारी हल्का में पटवारी हल्का ने अंकित [illegible] मण्डोला की आराजी खसरा नंबर 2429 रकबा 0.16 है. [illegible] है. पर वर्तमान में रविन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति जाटव सा0 बारां ने ईंट भट्टा लगा रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.14 15:34:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को किसी प्रकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रोपर तामील कराये अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का

अवसर दिये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को खातेदारी भूमि पर अकृषि कार्य ईट भट्टा लगाने का दोषी मानकर उक्त आदेश पारित किया है। विवादित आराजी स्वंय के खातेदारी की है। खातेदारी भूमि पर 4000 वर्गगज तक बिना रूपान्तकरण गैर कृषि कार्य ईट भट्टे का संचालन किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.04.2007 अनुसार अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.07.2015 निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। अपीलांट ने खाते की भूमि पर बिना स्वीकृति के ईट भट्टा लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है तथा अपीलांट को पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर मि0नं0 5/12 निर्णय दिनांक 12.04.2013 से बेदखल किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं गया है तथा खातेदारी भूमि पर 4000 वर्गगज तक ईट भट्टा लगाने हेतु रूपान्तरकरण की आवश्यकता नहीं है। जबकि पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट विवादित आराजी पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन व विवेचित तथ्यों पर मनन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलांट ने उक्त भूमि पर ईंट भट्टा लगा रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने में मिसल नम्बर 5/2012 निर्णय दिनांक 12.4.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा किया गया कथन कि 4000 वर्गगज तक ईट भट्टा लगाने के लिये रूपान्तरण की आवश्यकता नहीं होने का कथन इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

अतः वर्तमान में प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार, बारां से भी पेरोकार सरकार के इस कथन की पुष्टि होती है कि अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी रहा है। तथा वर्तमान में भी अपीलांट ने उक्त भूमि पर ईंट भट्टा लगा रखा है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.0[illegible].2022 को [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.14 15:34:24 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)